"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जून 2014— ज्येष्ठ 20, शक 1936

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2570/ एफ-04/01/2010/14-2. — यतः, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने रामानुजगंज के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को संशोधित करने के लिए अधिसूचना क्र. 2632/ एफ-04/01/2010/14-2 रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा उसके आशय को संसूचित किया था.

और यतः, राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार करने के पश्चात् जन सामान्य के हित में तथा प्रशासनिक प्रयोजन के लिए विनिश्चय किया है कि रामानुजगंज मण्डी क्षेत्र का संशोधन अपेक्षित नहीं है.

अतएव, उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और इसलिए उक्त अधिसूचना एतद्द्वारा रद्द की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2570/ एफ-04/01/2010/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2570/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No./2570/F-04/01/2010/14-2. — Whereas, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, vide Notification No./2632/F-04/01/2010/14-2, Raipur dated 11th July, 2011, had signified its intention to amend the existing notified Market Area of Ramanujganj.

And whereas, after considering the objections and suggestions rec[illegible] on the said notification, the State Government, in the interest of general public and for the purpose of administration, has decided that the amendment of Ramanujganj Market Area is not required.

Therefore, the said Notification shall not be given any effect and said notification is hereby, revoked.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2572/एफ-04/01/2010/14-2. — छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पंखांजूर मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों, जिसमें कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सम्मिलित है, को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम पंखाजूर, तहसील पंखाजूर, जिला कांकेर की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित खसरा क्र. की भूमि के 6.10 एकड़ के क्षेत्र को शामिल करते हुए, अर्थात् :-

सीमाएं

1.	उत्तर में	-	श्री वरूण, पिता देवेन्द्र मण्डल की निजी भूमि.
2.	दक्षिण में	-	श्री विपुल, पिता विनय विश्वास की निजी भूमि.
3.	पूर्व में	-	पक्की सड़क.
4.	पश्चिम में	-	श्री अरूण राय, पिता प्रदीप राय की निजी भूमि.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2572/एफ-04/01/2010/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2572/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No./2572/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares the following places including any structure, enclosure, open place, or locality in the Pakhanjur Market Area to be Market yard namely :-

PLACE

An area comprising of 6.10- acres of land bearing the following Khasara No. within the limits of village Pakhanjur, Tahsil Pakhanjur, District Kanker, namely :-

BOUNDARIES

1.	In the North	-	Private land of Shri Varun, S/o Devendra Mandai.
2.	In the South	-	Private land of Shri Vipul, S/o Vinay Vishwas.
3.	In the East	-	Roller Compacted Concrete Road.
4.	In the West	-	Private land of Shri Arun Rai, S/o Pradeep Rai.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2574/ एफ-04/01/2010/14-2. — छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कांकेर जिले के अंतर्गत अन्तागढ़ तहसील एवं पखांजूर के वन ग्रामों सहित समस्त क्षेत्र के लिये पखांजूर मण्डी स्थापित करती है, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित रूप में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2574/ एफ-04/01/2010/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2574/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No./2574/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, establishes Pakhanjur Market comprising of complete area Pakhanjur and Antagarh Tahsil inclusive of forest villages under Kanker District, the same having been previously published, as required under sub-section (2) of Section 3 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2576/ एफ-04/01/2010/14-2. — छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पखांजूर मण्डी क्षेत्र के मण्डी प्रांगण के संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों को मूल मण्डी के रूप में घोषित करना प्रस्तावित करती है, अर्थात् :-

स्थान

1. ग्राम पंखाजूर, तहसील पंखाजूर, जिला कांकेर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

2. मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र, अर्थात् :-

(1)	चाणक्यपुर	(2)	चंदीपुर	(3)	हरिहरपुर	(4)	हरणगढ़
(5)	ऐसेबेड़ा	(6)	कृष्णा नगर	(7)	माटोली	(8)	पंखाजूर (राजस्व)
(9)	पंखाजूर कॉलोनी	(10)	रामकृष्णपुर	(11)	रूपनगर	(12)	सत्यानंदपुर, पी. वी-9+115
(13)	सोहगांव	(14)	उदयपुर, पी. वी-33	(15)	विद्यानगर	(16)	योगेन्द्र नगर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2576/ एफ-04/01/2010/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2576/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No./2576/F-04/01/2010/14-2. — In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, proposes to declare the following area as Market Proper in relation to the Market yard of Pakhanjur Market Area, namely :-

PLACE

1. An area within the limits of Village Pakhanjur, Tahsil Pakhanjur, District Kanker.

2. An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the Market yard, namely :-

(1)	Chanakyapur	(2)	Chandipur	(3)	Hariharpur	(4)	Harnagad
(5)	Isebeda	(6)	Krishna Nagar	(7)	Matoly	(8)	Pakhanjur (Revenue)
(9)	Pakhanjur Colony	(10)	Ramkrishanpur	(11)	Rupnagar	(12)	Satyanandpur, P. V-9+115
(13)	Sohgaon	(14)	Udaynagar, P. V-33	(15)	Vidhyanagar	(16)	Yogendra Nagar

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2578/एफ-04/01/2010/14-2.— यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने बैकुण्ठपुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र को संशोधित करने के लिए अधिसूचना क्र. 2634/एफ-04/01/2010/14-2 रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा उसके आशय को संसूचित किया था.

और यत:, राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार करने के पश्चात् जन सामान्य के हित में तथा प्रशासनिक प्रयोजन के लिए विनिश्चय किया है कि बैकुण्ठपुर मण्डी क्षेत्र का संशोधन अपेक्षित नहीं है.

अतएव, उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और इसलिए उक्त अधिसूचना एतद्द्वारा रद्द की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2578/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2578/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No. /2578/F-04/01/2010/14-2. — Whereas, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, vide Notification No./2634/F-04/01/2010/14-2, Raipur dated 11th July, 2011, had signified its intention to amend the existing notified Market Area of Baikunthpur.

And whereas, after considering the objections and suggestions received on the said notification, the State Government, in the interest of general public and for the purpose of administration, has decided that the amendment of Baikunthpur Market Area is not required.

Therefore, the said Notification shall not be given any effect and said notification is hereby, revoked.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.